न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00577

1. स्व0 सुखदेव आत्मज श्री किशन जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 06 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. चन्द्र प्रकाश आत्मज सुखदेव जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 06 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. सूर्य प्रकाश आत्मज सुखदेव जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 06 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. चन्द्रबाला पुत्री सुखदेव जाति बैरवा पत्नी राजेश मूल निवासी नैनवा हाल निवासी रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/4. रेखा पुत्री सुखदेव पत्नी कमलेश जाति बैरवा मूल निवासी नैनवा हाल निवासी धनुगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी।
   1/5. मुस्मात प्रेमबाई विधवा सुखदेव जाति बैरवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बाबूलाल आत्मज श्री किशन जाति बैरवा निवासी नैनवा हाल निवासी मांटुदा रोड, गैस गोदाम के पास बून्दी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री श्रीकिशन पत्नी हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. श्रीमती तुलसी बाई श्रीकिशन पत्नी शंकर लाल जाति बैरवा निवासी बाछोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. श्रीमती ग्यारसी बाई पत्नी श्री किशन जाति बैरवा निवासी नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 92(क) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण कम 1, 2, 3 व 4 के स्व0 पिता एवं वादिया कम 05 श्रीमती ग्यारसी बाई के पति श्रीकिशन पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी नैनवा को दिनांक 23.11.1975 को आवंटन परामर्शदात्री समिति नैनवा द्वारा ग्राम नैनवा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2521/3 रकाब 08 बीघा भूमि नियमानुसार आवंटित की गई । श्रीकिशन जी अनपढ काश्तकार थे । तत्कालीन पटवारी हल्का ने जो कृषि भूमि उन्हें आवंटित भूमि के रूप में बतायी और जिस पर उन्हें कब्जा दिया थ उस पर ही वे उनकी मृत्यु तक काबिज काश्त रहे। जिस कृषि भूमि को पटवारी हल्का ने उन्हें बताया उस भूमि के बाबत् धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस उन्हें दिये गये तब पता चला कि जो जमीन उनको बताई गई उसके खसरा नम्बर 1012 हैं । खसरा नम्बर 1012 का रकबा काफी बडा रकबा है । आवंटित आराजी पर आवंटी श्रीकिशन जी का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया । श्रीकिशन जी ने अपने जीवनकाल में राजस्व अधिकारियों को आराजी खसरा नम्बर 2521/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 1012 परिवर्तित करने और इस भूमि पर उन्हें खातेदार दर्ज करने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई । वादीगण इस भूमि पर बहैसियत खातेदार वैधानिक रूप से हो चुके हैं । आराजी खसरा नम्बर 2521/3 जो वादीगण के पिता को आवंटित की गई है वह काबिल काश्त नहीं है । उक्त भूमि के स्थान पर वादीगण खसरा नम्बर 1012 रकबा 08 बीघा पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। उक्त भूमि पर वादीगण का पिछले 30 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं और वे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णि आराजी खसरा नम्बर 1012 रकबा 08 बीघा वाके ग्राम नैनवा तहसील नैनवा का खातेदार घोषित किया जावे । तद्नुसार राजस्व में इन्द्राज दुरूस्ती कर एवं नम्बर परिवर्तित कर वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के उपर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित नहीं की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2018 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता श्री किशन लाल को दिनांक 23.11.1975 को नियमानुसार आवंटित की गई थी । आवंटी भूमिहीन काश्तकार थे और अनपढ थे उनको भूमि के खसरा नम्बर के अंकन बाबत् जानकारी नहीं थी । आवंटन के बाद पटवारी हल्का द्वारा जिस भूमि पर कब्जा दिया गया उसी पर आवंटी ने कृषि करना प्रारम्भ कर दिया और लगातार अपने जीवनकाल में कृषि कार्य करते रहे । अपीलान्ट को जब गलत नम्बर की जानकारी हुई तो नम्बर दुरूस्त कराने का हल्का पटवारी से निवेदन किया परन्तु दुरूस्त न होने पर हक घोषणा का दावा पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । आवंटी 10 वर्ष पश्चात् स्वतः ही आवंटित आराजी के खातेदार बने चुके हैं। वादीगण कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हो सकी थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में उनकी ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त वकील साहब ने प्रत्येक तारीख पेशी पर आने से मना किया हुआ था। अपीलान्टगण पिछले 01 साल से अपने गॉव में अकाल की स्थिति होने के कारण अपने रोजगार के वास्ते गॉव से दूर कुछ दिल्ली व कुछ बून्दी में जाकर रोजगार करने लग गये । अपीलान्टगण अत्यधिक गरीब परिवार से हैं वे समय पर अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सके । अपीलान्टगण द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क किया गया तब उक्त अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और कर्मचारियों की हडताल होने से दिनांक 04.10.2018 को अपने अभिभाषक से नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था जिसको त्रुटिपूर्ण खारिज किया गया है । इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी सन् 1975 में अपीलान्ट के पिता को विधि सम्मत रूप से आवंटित की गई थी । अपीलान्ट के पिता भूमिहीन काश्तकार थे और अशिक्षित थे । खसरा नम्बर अंकन की जानकारी नहीं थी । जहॉ पटवारी के द्वारा कब्जा दिया गया था वहीं पर काश्त करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट इस पर काबिज हैं । जब यह जानकारी हुई कि नम्बर गलत अंकित किये गये हैं तो नम्बर को दुरूस्त करने की प्रार्थना की गई । हल्का पटवारी के द्वारा दुरूस्त नहीं करने पर वाद पेश किया गया है जिसको सरसरी तौर पर खारिज किया गया है । आवंटी 10 वर्षो बाद खातेदार बन जाता है । विकल्प में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार की प्रार्थना की गई थी । अपीलान्ट को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस दिये जा रहे हैं । खसरा परिवर्तनशील में अपीलान्ट का नाम दर्ज है । अपीलान्ट ने लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से अपने दावे को सिद्ध किया है फिर भी दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा यह दावा हक घोषणा का पेश किया गया है । दावे के समर्थन में असल आवंटन आदेश प्रदर्श– 1 संलग्न किया है जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2521/03 की 08 बीघा आराजी वाके ग्राम नैनवा आवंटित की गई है । प्रदर्श– 2 लगायत 5 धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस हैं जिसमें श्रीकिशन को खसरा नम्बर 1012 के बाबत् नोटिस दिये गये हैं । प्रदर्श– 7 खसरा परिवर्तित संवत् 2036, प्रदर्श– 8 खसरा परिवर्तित संवत् 2038, प्रदर्श–9 खसरा परिवर्तित संवत् 2039, प्रदर्श– 10 खसरा परिवर्तित संवत् 2040, प्रदर्श– 11 खसरा परिवर्तित संवत् 2042, प्रदर्श– 12 खसरा परिवर्तित संवत् 2049, प्रदर्श– 13 खसरा परिवर्तित संवत् 2050, प्रदर्श– 14 खसरा परिवर्तित संवत् 2051, प्रदर्श– 15 खसरा परिवर्तित संवत् 2053, प्रदर्श– 16 खसरा परिवर्तित संवत् 2054, प्रदर्श– 17 खसरा परिवर्तित संवत् 2055, प्रदर्श– 18 नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 पेश की गई हैं । इसके अलावा कुछ खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियॉ पत्रावली पर संलग्न है जिनमे कोई प्रदर्श नम्बर अंकित नहीं किया गया है ।

12. बयान सुखदेव, पप्पू, गोपी, मोहन के कराये गये हैं ।

13. वादी के द्वारा यह कथन करते हुए हक घोषणा का दावा पेश किया है कि उनको खसरा नम्बर 2521/03 की 08 बीघा भूमि आवंटित की गई थी और उनका कब्जा खसरा नम्बर 1012 पर है उनके द्वारा अपने खसरा नम्बर को परिवर्तित कराने के लिए कई बार निवेदन किया गया परन्तु परिवर्तित नहीं किया गया । खसरा नम्बर 2521/03 पर काबिज काश्त नहीं है । दावा वादी स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1012 की आराजी का खातेदार घोषित किया जावे । यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आराजी खसरा नम्बर 1012 सिवायचक आराजी है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । यदि वादी अपीलान्ट आवंटित आराजी के खसरा नम्बर में कुछ परिवर्तन कराना चाहते हैं तो उन्हें आवंटन अधिकारी के समक्ष ही इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । आवंटन अधिकारी उनके प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है परन्तु सरकारी सिवायचक आराजी पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2018 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2018/00577

1. स्व0 सुखदेव आत्मज श्री किशन जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 06 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. चन्द्र प्रकाश आत्मज सुखदेव जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 06 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. सूर्य प्रकाश आत्मज सुखदेव जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 06 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. चन्द्रबाला पुत्री सुखदेव जाति बैरवा पत्नी राजेश मूल निवासी नैनवा हाल निवासी रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/4. रेखा पुत्री सुखदेव पत्नी कमलेश जाति बैरवा मूल निवासी नैनवा हाल निवासी धनुगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी।
   1/5. मुस्मात प्रेमबाई विधवा सुखदेव जाति बैरवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बाबूलाल आत्मज श्री किशन जाति बैरवा निवासी नैनवा हाल निवासी मांटुदा रोड, गैस गोदाम के पास बून्दी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री श्रीकिशन पत्नी हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. श्रीमती तुलसी बाई श्रीकिशन पत्नी शंकर लाल जाति बैरवा निवासी बाछोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. श्रीमती ग्यारसी बाई पत्नी श्री किशन जाति बैरवा निवासी नैनवा जिला बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

1. स्व0 सुखदेव आत्मज श्री किशन जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 06 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. चन्द्र प्रकाश आत्मज सुखदेव जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 06 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/2. सूर्य प्रकाश आत्मज सुखदेव जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 06 नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/3. चन्द्रबाला पुत्री सुखदेव जाति बैरवा पत्नी राजेश मूल निवासी नैनवा हाल निवासी रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
   1/4. रेखा पुत्री सुखदेव पत्नी कमलेश जाति बैरवा मूल निवासी नैनवा हाल निवासी धनुगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी।
   1/5. मुस्मात प्रेमबाई विधवा सुखदेव जाति बैरवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बाबूलाल आत्मज श्री किशन जाति बैरवा निवासी नैनवा हाल निवासी मांटुदा रोड, गैस गोदाम के पास बून्दी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री श्रीकिशन पत्नी हरदेव जाति बैरवा निवासी ग्राम देवपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. श्रीमती तुलसी बाई श्रीकिशन पत्नी शंकर लाल जाति बैरवा निवासी बाछोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. श्रीमती ग्यारसी बाई पत्नी श्री किशन जाति बैरवा निवासी नैनवा जिला बून्दी ।

––वादी

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.09.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री महेश योगी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.03.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

28/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा